रक्षा मंत्रालय
(MINISTRY OF DEFENCE)

क. रक्षा विभाग
(A. DEPARTMENT OF DEFENCE)

1. भारत की तथा उसके प्रत्येक भाग की रक्षा, जिसके अंतर्गत रक्षा नीति और रक्षा के लिए तैयारी तथा सारे ऐसे कार्य हैं, जो युद्धकाल में युद्ध को चलाने और उसकी समाप्ति के पश्चात् सार्थक रूप से सैन्य–वियोजन में सहायक हों।
2. **लोप किया गया।**
3. **लोप किया गया।**
4. सेना, जलसेना और वायुसेना के रिजर्व।
5. **लोप किया गया।**
6. राष्ट्रीय कैडेट कोर।
7. **लोप किया गया।**
8. रिमाउन्ट, पशु-चिकित्सा और फार्म संगठन।
9. कैण्टीन भंडार विभाग (भारत)।
10. सिविलयन सेवाएं जिनके लिए रक्षा प्राक्क़लनों से संदाय किया जाता है।
11. जल-राशि सर्वेक्षण और नौ-परिवहन संबंधी चार्ट तैयार करना।
12. छावनियों का स्थापन, छावनी क्षेत्रों का परिसीमन/आच्छेदन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन, ऐसे क्षेत्रों के अंदर छावनी बोर्डों और प्राधिकरणों का गठन और उनकी शक्तियां तथा ऐसे क्षेत्रों में गृह वासन का विनियमन (जिसके अंतर्गत किराए का नियंत्रण है)।
13. रक्षा प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, अभिरक्षा और त्याग। रक्षा भूमि और संपत्ति से अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली।
14. **लोप किया गया।**
15. रक्षा लेखा विभाग।
16. सैनिक आवश्यकताओं के लिए खाद्य सामग्रियों का क्रय और उनका व्ययन, उनको छोड़कर जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को सौंपे गए हैं।
17. तट रक्षक संगठन से संबंधित सभी मामले, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं:

    (क) तेल बिखराव से बचने के लिए सामुद्रिक परिक्षेत्रों की निगरानी;

    (ख) विभिन्न सामुद्रिक परिक्षेत्रों में तेल बिखराव की रोकथाम करना, सिवाय पत्तनों के जल, और अपतट खोज और उत्पादन प्लेटफार्मों, तटीय रिफाइनरियों और सिंगल बॉया मूरिंग (एस.बी.एम.), क्रूड ऑइल टर्मिनल (सी.ओ.टी.) और पाइपलाइनों जैसी संबद्ध सुविधाओं के 500 मीटर के भीतर के जलक्षेत्र के;

(ग) विभिन्न सामुद्रिक परिक्षेत्रों के तटीय और समुद्रीय पर्यावरण में तेल प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए केन्द्रीय समन्वय अभिकरण;

(घ) तेल बिखराव संबंधी विभीषिका के लिए राष्ट्रीय आकस्मिक योजना का कार्यान्वयन; और

(ङ) देश में, तेल बिखराव के निवारण और नियंत्रण, पोतों तथा अपतट प्लेटफार्मों के निरीक्षण का जिम्मा लेना, सिवाय पत्तनों की उन सीमाओं के भीतर, जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) द्वारा सशक्त की गई हैं।

18. देश में गोताखोरी और संबंद्ध क्रियाकलापों से संबंधित मामले।

19. अनन्य रूप से रक्षा सेवाओं के लिए पूंजीगत अर्जन।

20. सीमा सड़क विकास बोर्ड और सीमा सड़क संगठन से संबंधित सभी मामले।

21. रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज और रक्षा मंत्रालय के अधीन अन्य कोई संगठन, जिसका कार्यक्षेत्र सैन्य मामलों से व्यापक है।

कक. सैन्य कार्य विभाग

(DEPARTMENT OF MILITARY AFFAIRS)

1. संघ के सशस्त्र बल अर्थात् थल सेना, नौसेना और वायुसेना।
2. रक्षा मंत्रालय का समेकित मुख्यालय, जिसके अंतर्गत सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय और डिफेंस स्टाफ मुख्यालय हैं।
3. प्रादेशिक थलसेना।
4. सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित कार्य।
5. प्रचलित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार अनन्य रूप से सेवाओं के लिए उपापन, जिसमें पूंजीगत अर्जन सम्मिलित नहीं है।
6. सेवाओं के लिए उपापन, प्रशिक्षण और स्टाफिंग में, इनकी आवश्यकताओं की संयुक्त योजना और एकीकरण के माध्यम से संयुक्तता की अभिवृद्धि करना।
7. संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए, संयुक्त / थिएटर कमांड को स्थापित करने सहित प्रचालनों में संयुक्तता लाते हुये, सैन्य कमांड की पुन:संरचना को सुगमता प्रदान करना।
8. सेवाओं द्वारा स्वदेशी उपस्करों के उपयोग की अभिवृद्धि करना।

ख. रक्षा उत्पादन विभाग
(B. DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION)

1. आर्डनेंस कारखाना बोर्ड और आर्डनेंस कारखाने।
2. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड।
3. भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड।
4. मझगांव डाक लिमिटेड।
5. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड।
6. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड।
7. भारत डायनामिक्स लिमिटेड।
8. मिश्र धातु निगम लिमिटेड।
9. रक्षा गुणवत्ता आश्वासन संगठन, जिनके अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय तथा एरोनॉटिकल गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय भी हैं।
10. रक्षा उपकरण तथा सामग्रियों का मानकीकरण, जिसके अंतर्गत मानकीकरण निदेशालय भी है।
11. भारत अर्थ मुवर्स लिमिटेड।
12. वैमानिकी उद्योग का विकास और उनसे भिन्न उपभोक्ताओं के बीच, जो नागर विमानन मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग से संबंधित है, समन्वय।

12क. **लोप किया गया।**

13. रक्षा उपस्करों का स्वदेशीकरण, विकास और उत्पादन तथा रक्षा उपस्करों के विनिर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी।
14. रक्षा निर्यात और रक्षा उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
15. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड।

ग. रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग
(C. DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT)

1. विज्ञान और टैक्नालोजी में हो रहे विकास का राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव के बारे में रक्षा मंत्री को जानकारी देना, मूल्यांकन करना और सलाह देना।

2. रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं तथा अंतः सेना संगठनों को हथियारों, हथियार-प्लेटफार्मों, फौजी कार्रवाइयों, निगरानी, सहायता और सैन्यतंत्र (लाजिस्टिक), संघर्ष के सभी संभावित क्षेत्रों में सभी वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में सलाह देना।

3. ऐसी प्रौद्योगिकी के अर्जन के बारे में, जिनका भारत में निर्यात विदेशी सरकारों के नियंत्रण के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, संबंधित विदेशी सरकारों के साथ करार लिखितों के संबंध में सभी विषयों पर रक्षा मंत्रालय के नोडल समन्वय अभिकरण के रूप में, विदेश मंत्रालय की सहमति से कृत्य करना।

4. राष्ट्रीय सुरक्षा से सुसंगत क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान और डिजाइन, विकास, परीक्षण और मूल्यांकन के कार्यक्रम तैयार करना और उनका निष्पादन करना।

5. विभाग के अभिकरणों, प्रयोगशालाओं, स्थापनों, रेजों, प्रसुविधाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का निर्देशन और प्रशासन।

6. वैमानिकी विकास अभिकरण।

7. सैनिक विमानों, उनके उपकरण और यान सामग्रियों की उड़ान अनुकूलता डिजाइन के प्रमाणीकरण से संबंधित सभी विषय।

8. विभाग की कार्यवाहियों से सृजित तकनीक के परीक्षण और अंतरण से संबंधित सभी विषय।

9. रक्षा मंत्रालय द्वारा अर्जित किए जाने के लिए प्रस्थापित सभी हथियार प्रणालियों और संबंधित तकनीकों के अर्जन और मूल्यांकन कार्रवाइयों का वैज्ञानिक विश्लेषण, समर्थन तथा उनमें भाग लेना।

10. सशस्त्र सेवाओं के लिए उपकरण और सामग्रियों का विनिर्माण कर रहे या विनिर्माण करने की प्रस्थापना कर रहे उत्पादन एककों और उपक्रमों द्वारा तकनीक के आयात के तकनीकी और बौद्धिक ज्ञान गुणधर्म के पहलुओं के बारे में सलाह देना।

11. पेटेन्ट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 35 के अधीन किए गए संदर्भ का निपटारा।

12. राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहलुओं की बाबत अध्ययन और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए व्यक्तियों, संस्थाओं और निगमित निकायों को वित्तीय तथा अन्य सामग्री संबंधी सहायता।

13. राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में विदेश मंत्रालय के परामर्श से, सभी विषय जिसमें निम्नलिखित भी हैं:

    (क) अन्य देशों के अनुसंधान संगठनों, और अंतर-सरकारी अभिकरणों, विशेष रूप से उनसे संबंधित, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी पहलुओं से संबंधित हैं, संबंधों की बाबत विषय;

ख)	विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारतीय वैज्ञानिक और तकनीकविदों को विदेशी छात्रवृत्तियों और प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए विदेशों में विश्वविद्यालयों, शैक्षिक और अनुसंधान उद्देश्य-जन्य संस्थाओं या निगमित निकायों के साथ व्यवस्था करना।

14. विभाग के बजट के नामेखाते संकर्मों का निष्पादन और भूमि का क्रय।

15. विभाग के नियंत्रण के अधीन कार्मिकों संबंधी सभी विषय।

16. विभाग के बजट के नामेखाते सभी प्रकार की सामग्रियों, उपकरणों और सेवाओं का अर्जन।

17. विभाग से संबंधित वित्तीय मंजूरियां।

18. भारत सरकार के किसी अन्य ऐसे मंत्रालय, विभाग, अभिकरण के साथ, जिनके कार्यों का राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं पर प्रभाव है, करारों या व्यवस्थाओं के माध्यम से विभाग को सौंपे गए और विभाग द्वारा स्वीकार किए गए कोई अन्य कार्य।

घ. पूर्व सेनानी कल्याण विभाग

(D. DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE)

1. सशस्त्र सेना सेवा-निवृत्त सैनिकों (पूर्व सेनानियों), जिसके अंतर्गत पेंशनभोगी भी हैं, से संबंधित मामले।

2. सशस्त्र सेना सेवा-निवृत्त सैनिक (पूर्व सेनानी) अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम।

3. पुनर्वास महानिदेशालय और केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से संबंधित मामले।

4. निम्नलिखित का प्रशासन-

   (क) सेना पेंशन विनियम, 1961 (भाग I और भाग II);

   (ख) वायुसेना पेंशन विनियम, 1961 (भाग I और भाग II);

   (ग) नौसेना (पेंशन) विनियम, 1964; और

   (घ) सशस्त्र बल कार्मिक दुर्घटना पेंशनिक अधिनिर्णय विषयक हकदारी नियम, 1982।

———